

Sarital
23-11-10
w.o. Encl

पंजीकृत

Rec-121

कार्यालय महालेखाकार लेखा एवं हकदारी द्वितीय उ० प्र० इलाहाबाद ।

सं० जी०ई०-1/गुप -1/ अदेयता प्रमाण पत्र /LID-16931/764 दिनांक 9-11-10

सेवा में]

1. सचिव नियुक्ति अनुभाग-6 एनैक्सी भवन
उ० प्र० शासन लखनउ
2. सचिव गृह पुलिस सेवायें अनुभाग-2 एनैक्सी भवन
उ० प्र० शासन लखनउ
3. सचिव वित्त सेवायें अनुभाग-2
उ० प्र० शासन लखनउ
4. निबन्धक उच्च न्यायालय
इलाहाबाद

Register No.	22762
Serial No.	2529
174	

3/29/11/10

14-2-11

विषय : श्री अशोक कुमार यादव एच० जे० एस० को स्वीकृत मोटरकार अग्रिम रू० 80000.00 की अदायगी के सम्बन्ध में ।

महोदय]

उपर्युक्त विषयान्तर्गत सूचित करना है कि शासनादेश संख्या बी-3-511(6)/दस-2002-20(12)/2001मो०वा० उच्च न्यायालय के आदेश संख्या दिनांक 26/Feb/02 के अन्तर्गत स्वीकृत मोटरकार अग्रिम रू० 80000.00 के मूलधन की अदायगी मय ब्याज के इस कार्यालय के अभिलेखानुसार पूर्ण हो चुकी है ।

उक्त अग्रिम के विरुद्ध कुछ शेष नहीं है ।

भवदीय

लेखाकार
दिनांक 9-11-10
संस्थित लेखाधिकारी

सं० जी०ई०-1/गुप -1/अ० प्र० प०/

दिनांक

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ प्रेषित :-

1. निदेशक, पेंशन निदेशालय, इन्दिरा भवन लखनउ ।

2. श्री अशोक कुमार यादव अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं०८ वाराणसी ।

संस्थित लेखाधिकारी

JRIM

For information
May be?
JRIM

15-2-11
JR

2011-10
16/2

6113
S. S. R. M.
9/22/11

S. S. R. M.
W. O.

22/01/2010

contal
12-8-10
w.o. Encl

Req-121

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-द्वितीय
उत्तर प्रदेश

२०, सरोजनी नाथडू मार्ग, इलाहाबाद-२११००१

2-8-10
12-8-10

1500

2829
170

पत्रांक जी०ई०गुप. J...../

25-8-10

दिनांक.....
3/25/8110

सेवा में,

श्री आशोक कुमार यादव, HJS,
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
श्रावस्ती

14-2-11

विषय : श्री आपको को स्वीकृत मोटर कार अग्रिम
रु० 80000/- की मूलधन की अदायगी/अदेयता प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।

महोदय,

3576
S.O. Adm M/A

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या/पृष्ठांकन पत्र संख्या.....

दिनांक.....के संदर्भ में सूचित करना है कि :-

(1) इस कार्यालय के अभिलेखानुसार मूलधन के विरुद्ध रु० 62570/- की प्रविष्टि पूर्ण हो चुकी है। इस प्रविष्टि में किस्त संख्या 9, 18, 24, 25, 28, 29, 31 के की अदायगी की धनराशि शामिल है।
33, 35, 38, 40, 41, 44, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100

(2) मूलधन के विरुद्ध अभी रु० 17430/- की प्रविष्टि शेष है जिसके अन्तर्गत किस्त संख्या 1 से 8, 19 से 23, 27, 30, 34, 39, 42, 43, 49, 50, की अदायगी की धनराशि शामिल है। अतएव अदायगियों का सम्बन्धित कोषाधिकारी/इरला/पी०ए०ओ० द्वारा सत्यापित विवरण उपलब्ध करायें।

(3) ब्याज की गणना हेतु शासनादेश संख्या 2834/दो-6-2004-19 (11)/83 नियुक्ति अनुभाग 6 दिनांक 13-9-2004 में निर्देशित किया गया है कि शासनादेश में अंकित ब्याज दर के अनुसार अपने अधीनस्थ लेखाकार से अनन्तिम रूप से ब्याज का आगणन कराकर तदनुसार ब्याज की अदायगी की जाये एवं ब्याज की सम्पूर्ण धनराशि की अदायगी के पश्चात गणना सीट एवं जमा का सत्यापित विवरण इस कार्यालय को उपलब्ध करायें।

JR(M)

M.A. has already been taken into

account

15/8/10

(4) इस कार्यालय द्वारा गणना करने पर ब्याज दर में 3.5 प्रतिशत की छूट के साथ/बिना छूट के साथ रु०.....
आगणित हुई है, जिसमें से रु०.....का विवरण
 प्राप्त हो चुका है। अभी ब्याज के मद में रुपये.....की अदायगी शेष है।
 जिसे एक मुश्त अथवा किस्तों में लेखा शीर्षक "0049" ब्याज प्राप्तियों/भवन निर्माण/मरम्मत/मोटर वाहन/स्कूटर/
 कम्प्यूटर पर देय ब्याज के मद में जमा करायें। परन्तु ब्याज अदायगी की किस्त प्रतिमाह रु०.....
 से कम न हो।

(5) श्री.....को स्वीकृत किये गये अग्रिमों की सूची उपलब्ध करायें
 जिससे उसे चिन्हित करके वस्तुस्थिति से आपको अवगत कराया जा सके।

(6) कृपया, पूर्व पृष्ठ पर उचित दिनांक से सम्बन्धित माघ-यथा - 4/02 से 14/02
 14/03 से 2/04, 7/04, 10/04, 2/05, 7/05, 14/05, 11/05 एवं 5/06
 से 6/06 को अग्रिमों का कोषाधिकारी द्वारा स्थापित विवरण
 उपलब्ध कराने का कार्य करें।

भवदीय

वरिष्ठ लेखाधिकारी
 जी०ई० अनुभाग

पंजीकृत

पृष्ठांकन पत्र संख्या - जी०ई० 2/गुप...../LID-945/258 दिनांक 5-8-10

श्री सुरेन्द्र बहादुर उप निष्पन्न (11) उच्च न्यायालय,
 इलाहाबाद को उनके पत्रांक 10302/4-2529/एगमन(11)
 दिनांक - 1-7-10 के स्वयं से सूचनार्थ प्रेषित।

वरिष्ठ लेखाधिकारी
 जी०ई० अनुभाग